IJAER/Sep-Oct 2019/Volume-8/Issue-5 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारत में मानवाधिकार से सम्बन्धित समस्याओं का संक्षिप्त मूल्यांकन

Dr. Vijay Kumar,
Assistant Professor,
B.S.M. Law College Roorkee

सार–
मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं। ये अधिकार नगरपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है। मानवाधिकार मापदंडों का एक स्वरूप है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है और व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाता है। हालांकि इन अधिकारों को कानून द्वारा संरक्षित किया गया है, लेकिन फिर भी इनमें से कई अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन अधिकारों का हक मिले इसके लिए आवश्यक है इन अधिकारों की जानकारी का होना। हर व्यक्ति को अपने अधिकार की जानकारी होने के साथ ही कानूनी संरक्षण की भी जानकारी का होना भी आवश्यक है। समाज के हर प्राणी को जीने का अधिकार है तो समाज के हर प्राणी का कर्तव्य भी है कि वह किसी के जीवन में बाधक नहीं बने। सामान्य अर्थ में इसे आधुनिक मानवाधिकार का प्रारंभिक रूप भी कह सकते हैं। यह मानवाधिकार की मौलिक अवधारणा है। आज मानवाधिकार का जो परिशोधित, परिष्कृत एवं विस्तारवादी सम्प्रत्यय हम देखते हैं उसके जड़ में 'जियो और जीने दो' की मूल अवधारणा शामिल है।

प्रस्तावनाः–
मानवाधिकार का सृजन भी समाज में होता है। सामान्यतया मानवाधिकार से तात्पर्य है लिंग, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, देश, आर्थिक स्थिति जैसे भेदभावमूलक विचारों को त्याग कर मानव को समुचित विकास, संरक्षण तथा ससम्मान जीवन जीने का वह अधिकार प्रदान करना जो उसे जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता हैं हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों को इसी भावना को ध्यान में रखते हुए स्थान दिया गया है। मानवाधिकार की अवधारणा का इतिहास बहुत पुराना है। इस अवधारणा का विकास सत्ता के निरंकुश उपयोग पर अंकुश लगाना है। मध्यकाल में 13वीं शताब्दी में राजा और सामंतों के मध्य हुआ समझौता जिसे 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है, ने मानवाधिकार की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं इंग्लैण्ड में स्वतंत्रताओं के लिए हुआ यह समझौता 15 जून 1215 ई. को हुआ जिसे मैग्नाकार्टा या ग्रेट चार्टर कहा जाता है। ब्रिटेन में हुई क्रांति (1689 ई.) ने मानवाधिकार की अवधारणा को विस्तार दिया। इस क्रांति में 'बिल ऑफ राइट्स' के द्वारा व्यक्ति की उन मौलिक स्वतंत्रताओं को मान्यता दी गई जिनका अब तक हनन किया जाता रहा था। इसके बाद 1776 को अमेरिकी क्रांति, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन की गुलामी से मुक्त हुआ तथा 1789 की फ्रांस की क्रांति, जिसका मुख्य नारा था–स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ने आधुनिक मानवाधिकारों के विकसित होने के लिए आधार भूमि तैयार की।

वर्तमान मानवाधिकार सम्बन्धी गतिविधियां वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित अमानवीय घटनाओं की भर्त्सना करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट (1882–1945) का भाषण (1940) जिसमें रूजवेल्ट ने मनुष्य की चार मूलभूत स्वतन्त्रताओं का उल्लेख किया था, भविष्य में मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणा का मुख्य आधार बना। फ्रें कलिन की पत्नी एलीनोर रूजवेल्ट (1884–1962) की अध्यक्षता में 1946 मेंगठित मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत और घोषित किए जाने के साथ ही विश्व समुदाय द्वारा इसे न केवल मान्यता दी गई बल्कि अपने–अपने संविधानों में स्थान दे कर विधिक स्वरूप भी प्रदान किया गया। 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई। यह भी एक संयोग है कि संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों पर चर्चा हो रही थी उसी समय भारत के संविधान का प्रणयन हो रहा था। हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ थे और अपने देश के नागरिकों के लिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील थे। परिणामस्वरूप भारतीय संविधान मेंमानवाधिकारों को उच्च स्थान दे ते हुए उसे मौलिक अधिकारों के खण्ड मेंन केवल स्थान दिया गया बल्कि इसकी रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंप कर इसे गारंटीकृत भी किया गया।

भारत में मानवाधिकार

मध्य युग के छोटे कालखण्ड को छोड़कर देखे तो भारत में मानवाधिकार की संस्कृति बहुत पुरानी है। प्राचीन साहित्य चाहे वह वैदिक साहित्य हो या संस्कृत, पालि अथवा प्राकृत साहित्य सभी में मानवाधिकारों को आवश्यक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। यही नहीं इस प्राचीन कालीन साहित्य में सहअस्तित्व की भावना तीव्ररूप में हर क्षेत्र मेंदिखाई देती हैं चाहे वह वन्यजीवों के सम्बन्ध में हो या प्रकृति में पाई जाने वाली वनस्पतियों, पेड़–पौधों आदि के सम्बन्ध में हो।

हमारे देश में प्रत्येक युग में मानवाधिकर के महत्व को स्वीकार किया गया है। महात्मा बुध ने ''बहुजन हिताय बहुजन सुखाय'' का सन्देश दिया था। सूर, कबीर, तुलसी, रैदास आदि ने भी अपनी रचनाओं से मानव अधिकारों के महत्व को समाज के सामने रखा। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 20वीं सदी में मानवाधिकारों के लिए अपने संघर्ष में अपना जीवन अर्पित कर दिया। उन्हों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्मिता, समानता और मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष किया। डॉ. अम्बेडकर ने समाज के निम्न वर्ग के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अधिकारों को मानव अधिकारों से जोड़ा। यह आश्चर्य का विषय है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी शोषण, अन्याय, छूआछूत, स्त्री–पुरुष असमानता का अस्तित्व बना हुआ है, जिसके कारण मानव अधिकारों का हनन आज भी किया जा रहा है। वर्तमान युग में संगठित रूप में भारत में नागरिक अधिकार आन्दोलन की शुरूआत 1936 में 'सिविल लिबर्टीज यूनियन' के गठन के साथ हुई। इसके गठन में पंडित जवाहर लाल नेहरू की मुख्य भूमिका थी। स्वतंत्रता के बाद इस यूनियन की सक्रियता कम हो गई। संभवतः यह माना गया कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले संविधान के लागू होने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रही।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा–पत्र पर भारत ने 1948 में हस्ताक्षर किये थे। तथापि लगभग एक वर्ष पूर्व निर्मित भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से मानवाधिकारों को मान्यता दी जा चुकी थी। संविधान के खण्ड तीन में विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14), धर्म मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध (अनुच्छेद 15), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), अस्पृश्यता का अंत

(अनुच्छेद 17), वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (अनुच्छेद 20), प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21), मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिशेध (अनुच्छेद 24), धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 29, 30) इत्यादि अधिकार भारत के नागरिकों (कुछ मामलों में अनागरिकों को भी) को प्रदान किए गए हैं। इतना ही नहीं संविधान मेंइन अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में सांविधानिक उपचार भी दिए गए है। केन्द्र सरकार द्वारा इन अधिकारों के संरक्षण तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए जाने वाले मानवाधिकारों सम्बन्धी अभिसमयों, प्रसंविदाओं के सम्यक् पालन हेतु तथा सम्बन्धित उत्तरदायित्वों के सम्यक् निर्वहन हेतु 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत किया गया है। आठ सदस्यीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है तथा 7 अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, एससी–एसटी आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा दो विशेषज्ञ होते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में सभी राज्यों को मानवाधिकार आयोग के गठन का भी निर्देश दिया गया है। अधिनियम में मानवाधिकार संबंधी मामलों के त्वरित निपटान हेतु प्रत्येक जिला–मुख्यालय पर एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना तथा अधिनियम की धारा 31 के अनुसार इन न्यायालयों में अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान हैं। भारतीय संविधान में सभी मानवाधिकारों को शामिल किया गया है। प्रस्ताव, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्वों के द्वारा देश के नागरिकों को वे सभी अधिकार देने के प्रयत्न किए गए हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में स्थान दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि 'हम सभी भारतवासी अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का सत्यनिष्ठा के साथ संकल्प लेते हैं।' संविधान के प्रस्ताव के इस मंतव्य को मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक खण्ड में स्थान देकर पुष्टीकृत भी किया गया है। किन्तु क्या ये सभी अधिकार वास्वत में देश के नागरिकों को प्रदत्त हैं और यदि ऐसा है तो समय–समय पर मानवाधिकार उल्लंघन के प्रकरण क्यों सामने आते हैं। इसके कई कारण हैं– प्रथमतः कई मामलों मेंसरकार द्वारा स्वयं मानवाधिकर विरोधी कानून बनाए गए हैं। दूसरा समाज द्वारा समय–समय पर इनका उल्लंघन या हनन किया जाता है। यहां समाज से तात्पर्य सरकारी एजेसियां भी हैं। तीसरा हमारे देश में लागू मानवाधिकर विरोधी प्रथाओं एवं गलत परम्पराओं का अनुकरण भी इसके लिए जिम्मेदार है।

मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार–

''मानव अधिकारों का मतलब संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में निहित और भारत न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा संबंधित अधिकार है।''

मानव अधिकार आयोगः

मानव अधिकार आयोग की स्थापना 16 फरवरी 1947 को आर्थिक सामाजिक परिशद के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया जिसमें 18 सदस्य थे। वर्तमान में 32 सदस्य है। विशेष परिस्थियों में हम अपने अधिकारों के लिए मानव अधिकार आयोग से शिकायत कर सकते हैं। मानव अधिकार आयोग द्वारा तैयार सार्वभौमिक घोषणा पत्र के प्रारूप को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को स्वीकार किया इसलिए इस तारीख को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं।

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुयी थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, यह संविधान द्वारा अनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है।

मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम 1993 के आधार पर राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग बना। एक राज्य मानवाधिकार आयोग भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल विषयों से संबंधित अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर सकता है। वर्तमान में भारत के 24 राज्यों में राज्यस्तरीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है।

सार्वभौमिक मानव अधिकारों में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा, भाषण की स्वतंत्रता, सक्षम न्यायाधिकरण, भेदभाव से स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता का अधिकार और इसे बदलने के लिए स्वतंत्रता, विवाह और परिवार के अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा के अधिकार, शांतिपूर्ण विधानसभा और संघ के अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर और पत्राचार से हस्तक्षेप की स्वतंत्रता, सरकार में और स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग लेने का अधिकार, राय और सूचना के अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और सामाजिक आदेश का अधिकार जो इस दस्तावेज को अभिव्यक्त करता हो आदि शामिल है। ब्रिटिश उपनिशदवाद के दौरान लोगों के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन के विरूद्ध भारतीय संघर्ष को ध्यान में रखते हुए ही मानव अधिकार को सृजित किया गया।

भारत में मानवाधिकार हनन : एक समस्या

भारतीय समाज मेंमानवाधिकारों का सर्वाधिक हनन निर्धन गरीब व्यक्तियों या नारियों के संदर्भ मेंहोता है। पुलिस विभाग को भी मानवाधिकार के हनन में सर्वाधिक दोषी पाया जाता है। बाल श्रमिकों का नियोजन, बंधुओं मजदूरी की प्रथा, आदिवासियों का शोषण, बड़े बांध, जलाशयों, विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में बड़ी संख्या मेंस्थानीय निवासियों का विस्थापन, जंगल और जमीन पर जन सामान्य के अधिकारों की अस्वीकृति आदि मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हैं। इस प्रकार के प्रकरणों में नागरिक अधिकार सम्बन्धी अनेक याचिकाएं न्यायालयों में आए दिन दायर की जाती हैं। इनमें से अधिकांश मामलों मेंसरकार ही दोषी पाई जाती है। कहने का आशय है कि जब सरकार ही मानवाधिकारों का उल्लंघन करने को तत्पर है तो सामान्य जन अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता हैं यह विडम्बना ही तो है।

21वीं सदी की व्यापक तकनीकी, आर्थिक तरक्की की चकाचौंध के बीच कई अंधेरे आज भी आदिम युग के अवशेषों के रूप में यत्र–तत्र बिखरे हुए हैं। प्रतिदिन करोड़ों–अरबों का व्यापार करने वाले महानगर में आपको भूख भी आसपास ही कहीं दुबकी नजर आ जायेगी। पांच सितारा स्कूलों के साये में ही निरक्षरता हाथ–पांव

मारती दिख जायेगी, मानव नस्ल के अधिक परिष्कृत, अधिक सुसंस्कृत होने के खुशफहमी भरे दावों के बीच मानव द्वारा मानव पर वीभत्सतम यातनाओं और अत्याचारों के रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले सामने आते रहते हैं। विकास ओर परिष्कार की सैकड़ों साल की यात्रा के बाद भी आज हम प्रत्येक मानव के बुनियादी अधिकार दिलाने के लिए जूझ रहे हैं, जो सभ्यता की पहली चेतना के साथ ही सबको सहज उपलब्ध हो जाने चाहिए थे।

इसमें कोई शक नहीं कि इस दौरान मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक तरफ निश्चित ही काफी तरक्की हुई है। इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है, लेकिन आज भी मानवाधिकारों का हनन बदस्तूर जारी है। मानव–मानव के रूप में जीने के लिए संघर्षरत है। कहीं धनबल, बाहुबल, सामंतवाद अथवा राजनीतिक सत्ता का मद उसे उसके अधिकारों से वंचित कर रहा है, तो कहीं सत्ता की अकर्मण्यता एवं अनिच्छा इसे इन अधिकारों से दूर रखे हुए है। प्रारम्भ में मानव अधिकारों का हनन घर से ही शुरू हुआ। घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना लगभग हर देश, हर समय, झोपड़पट्टी से लेकर आलीशान महलों तक यह रोग उपस्थित देखा गया हैं समाज में धर्म, सम्प्रदाय, जाति, लिंग, रंग आदि के नाम पर भेदभाव एवं प्रताड़ना किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है, जो सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को चुनौती देती रहती है। भारत में जहाँ साम्प्रदायिक एवं जातीय हिंसा आम बात है, वहीं सम्पूर्ण विश्व में भी नस्लीय हिंसा देखने को मिलती है। कहने को गुलामी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन कर्ज, भूख और गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे कई गुलाम आज भी मुक्ति की बाट जोह रहे हैं। अब भी यह संघर्ष जारी है। शिक्षा से वंचित रोजी–रोटी की जुगाड़ में जीवन बीत रहा है। बाल श्रम कानूनों को अंगूठा दिखाता हुआ समाज बचपन को असमय समाप्त करता जा रहा है।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा–पत्र –

मानव अधिकारों आयोग द्वारा तैयार सार्वभौमिक घोषणा पत्र के प्रारूप को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को स्वीकार किया। इस घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित कुछ 30 अनुच्छेद हैं –

- अनुच्छेद 1–3 तक के अनुच्छेद का संबंध नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से हैय जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्य जन्म से ही गरिमा एवं सम्मान के अधिकारी है। जहाँ वह जन्म लेता है, वहाँ के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार स्वतः उसे प्राप्त हो जाता है।
- अनुच्छेद 3–21 तक के अनुच्छेद में जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार, समान कानूनी अधिकार, सरकारी नौकरी का अधिकार, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार सम्मिलित है।
- अनुच्छेद 21–27 तक के अनुच्छेद में व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकार आते हैंय जिसमें मनुष्य के आत्मसम्मान, समान कार्य एवं समान वेतन, अतिरिक्त कार्य करने का अधिकार समावेशित हैं।
- अनुच्छेद 28–30 तक के अनुच्छेदों में सामान्य अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सभी मनुष्यों को सामाजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ ही विष्व शांति और सुरक्षा तथा व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके।

मानव अधिकार के प्रकार –

- प्राकृतिक अधिकार–इस अधिकार के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार आते हैं। ये स्वभाव में निहित है।

- मौलिक अधिकार–यह मनुष्य के मूल अधिकार हैं।
- कानूनी अधिकार–प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान मानना, कानूनी संरक्षण का अधिकार।
- नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार –राज्य के नागरिक होने के नाते वोट देने का अधिकार।
- नैतिक अधिकार–व्यक्ति के वे नैतिक आदर्श, मानव जिन्हें समाज में प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार।
- मनुष्य के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक अधिकार।

मानव अधिकारों से संबंधित संस्थाएँः–

विश्व में मानव अधिकारों से संबंधित ऐसी बहुत–सी सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाएँ तथा छळव् कार्यरत हैं, जो मानव अधिकारों के संरक्षण, प्रशिक्षण तथा जागरूकता के लिए कार्य करते हैं। इस कार्य के लिए इन संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाता है।

- विश्व मानव अधिकार आयोग–1990 में स्थापना, 159 सदस्य, स्थान जिनेवा।
- लोक संघ संगठन–विभिन्न मानवाधिकारों के हनन संबंधी घटनाओं पर आवाज उठाना।
- मानवाधिकार शिक्षा एशियन संगठन–1995 में मध्यप्रदेश में स्थापना, मानव के अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न कार्य।
- ह्यूमन राइट्स वॉच–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्था, न्यूयॉर्क में मुख्यालय, इसके द्वारा देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तथा सभी देशों को एक क्रम दिया जाता है।
- एमनेस्टी इन्टरनेशनल–विश्वभर में सर्वाधिक सक्रिय संस्था जिसका मुख्यालय लंदन है। यह संगठन भारत में कश्मीर सुरक्षा बलों द्वारा मान अधिकारों के हनन एवं समाज के विभिन्न तबकों के मानवाधिकार के हनन पर प्रतिवेदन तैयार करता है।

ये संस्थाएँ मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने की दिशा में काम करते हैं, ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। मानव अधिकारों के दुरूपयोग की जाँच करने के लिए ही संयुक्त जाँच समिति की स्थापना की गई है। कई राष्ट्रीय संस्थान, गैर–सरकारी संगठन और सरकार भी यह सुनिश्चित करने के लिए इन पर नजर रखती हैं कि कहीं किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है।

निष्कर्ष–

आज मानवाधिकार की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गयी है। मानव अधिकार आंदोलन की उपादेयता तभी है, जब समाज से सभी प्रकार के भेदभाव का अन्त हो। किन्तु वर्तमान राजनैतिक तंत्र इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। आज भी भारतीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने पर मानवाधिकार की विभिन्न समस्याएँ दृष्टिगोचर होती हे जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए प्रस्तुत शोध

पत्र मेंबुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, राजनेताओं, मनोवैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिकों के सार्थक चिन्तन, मनन एवं गंभीर विचारों को रखा गया हे जिसमें विश्व की गंभीर समस्या मानव अधिकारों के हनन एवं सरंक्षण की दशा, दिशा एवं इसका भावी समाधान कैसे हो? इस पर प्रकाश डाला गया है तथा मानव अधिकारों के प्रति जनता ज्यादा जागरूक हो एवं प्रशासन भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

- प्रो. मधुसूदन त्रिपाठीः भारत में मानवाधिकार, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008
- कटारिया, सुरेन्द्र; मानवाधिकार, सभ्य समाज एवं पुलिस, आर.बी.एस. पब्लिकेशन, जयपुर, 2003
- सिंह, राजबाला; मानवाधिकार एवं महिलाएँ, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2006
- पाण्डेय, जे.एन; भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 1994
- रमेश प्रसाद द्विवेदीः महिलाएं एवं मानवाधिकारः संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान, अंशकालीन प्राध्यापक महिला अध्ययन व विकास केन्द्र एवंलोक प्रशासन व स्थानीय स्वराज्य शासन विभाग राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महराज विश्वविद्यालय नागपुर, 2013
- रैना, विनोद; भारत में सामाजिक आंदोलन, 2004
- सुब्रह्मण्यम, एस.; पुलिस एवं मानवाधिकार, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007
- तारकुंड, वी.एम.; मानवाधिकारों का दर्शन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995
- अंसारी, एम.ए.; महिला एवं मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2003
- आशा कौशिकः मानवाधिकार और राज्यः बदलते संदर्भ, उभरते आयाम– पोइन्टर पब्लिर्शस, जयपुर 2004